संख्या-237/2020/425/22-2-2020-17(923)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 जून, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा भैया पुत्र श्री रामसरन, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7904/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-02-2020) दिनांक-18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा भैया पुत्र श्री रामसरन, ग्राम-गढ़ा, थाना-माधौगढ़, जनपद-जालौन हालपता-आलमपुर संकट मोचन आश्रम के पास, थाना-कुठौद, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बन्दी ने मनफूले और अपनी पत्नी अनीता के बीच अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 22.11.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मनफूले एवं लाठी से पीटकर पत्नी अनीता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09, 10/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0 एक्ट), जालौन स्थान-उरई के आदेश दिनांक 12.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने मनफूले और पत्नी अनीता के बीच अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 22.11.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मनफूले एवं लाठी से पीटकर पत्नी अनीता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 49 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजा भैया पुत्र श्री रामसरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजा भैया (बन्दी संख्या-15095) पुत्र श्री रामसरन, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-237/2020/425(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद जालौन।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-237/2020/425/22-2-2020-17(923)/2019

दिनांक 30 जून, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा भैया (बन्दी संख्या-15095) पुत्र श्री रामसरन, ग्राम-गढ़ा, थाना-माधौगढ़, जनपद-जालौन हालपता-आलमपुर संकट मोचन आश्रम के पास, थाना-कुठौद, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बन्दी ने मनफूले और अपनी पत्नी अनीता के बीच अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 22.11.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मनफूले एवं लाठी से पीटकर पत्नी अनीता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09, 10/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज (ई0सी0 एक्ट), जालौन स्थान-उरई के आदेश दिनांक 12.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने मनफूले और पत्नी अनीता के बीच अवैध सम्बन्ध होने के शक में दिनांक 22.11.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मनफूले एवं लाठी से पीटकर पत्नी अनीता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 49 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजा भैया पुत्र श्री रामसरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।